

१२-१७५

पत्रावली देना दुपार पर ही होगा
 एवं उनके वकील को राक २
 कर कर-२ कावाज कराई
 गई। पर ही होगा एवं उनके वकील
 उपस्थित नहीं थे अतः प्रापक इसके
 दायरी व अदम फरकी के खारिज
 किया जाता है पत्रावली अंशुपुत्र
 होकर राकद के रूप में राक
 दायर दाखिल हो